न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 74/2017

गोरधन पुत्र रामप्रताप जाति गुसाई निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

1. शांतिबाई बेवा रामकुंवार
2. शोभागपुरी पुत्र }
3. रविन्द्र पुरी पुत्र } रामकुंवार
4. महेन्द्र पुरी पुत्र }
5. शकुन्तला पुत्री }
6. टीना पुत्री }

} निवासीगण भटवाडा तहसील मांगरोल हाल मुकाम अनन्तपुरा कोटा जिला कोटा

7. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टा बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री हरिश राजावत

निर्णय दिनांक : 27.12.2018

दायरा दिनांक: 31.07.2017

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है उक्त उनवान के प्रकरण में सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.09.2018 का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है कि वादी, प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के शामलाती खाते की आराजी वाके माल भटवाडा जिसके खसरा नं0 837 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 838 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 839 रकबा 7.09 है0 कुल किता 03 रकबा 7.17 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौखिक बंटवारा कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादी ने अपने हिस्से की आराजी में तार बाड व ट्यूबवेल लगा रखा है। तथा काफी पैसा लगाकर उपजाऊ बनाया है। आराजी शामलाती खाते में दर्ज होने से वादी को काश्त करने व भूमि सुधार करने में काफी परेशानी आ रही है। वादी ने विधिवत बंटवारा करने हेतु प्रतिवादीगण से कहां तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से मना कर दिया। अतः ग्राम भटवाडा में स्थित आराजी खसरा नं0 837 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 838 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 839 रकबा 7.09 है0 कुल किता 03 रकबा 7.17 है0 में वादी का हिस्सा 1/2 पृथक से खाता दर्ज करने का आदेश फरमावें तथा कब्जा अनुसार विभाजन किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 31.07.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 24.09.2018 को वकील प्रार्थी उपस्थित है अप्रार्थीगण को कई बार आवाज के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही होने से जवाब अवसर समाप्त कर अप्रार्थीगण को एक्स पार्टी किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 24.09.2018 को बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र में अंकन किया गया है। वकील वादी द्वारा आराजी को कब्जे अनुसार ही पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एव सुनी गयी बहस के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिया जाता है कि आराजी वाके माल भटवाडा जिसके खसरा नं0 837 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 838 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 839 रकबा 7.09 है0 कुल किता 03 रकबा 7.17 है0 में मौके पर कब्जे अनुसार वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा पत्र कमांक/भू0अ0/5592 दिनांक 21.12.2018 से बंटवारा स्कीम प्रस्तुत की। जो शामिल फाईल किया गया एवं पत्रादि का अवलोकन किया गया। मौके पर कब्जे काश्त अनुसार ग्राम भटवाडा के आराजी खसरा नं0 837 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 838 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 839 रकबा 7.09 है0 कुल 3 किता कुल रकबा 7.17 है0, भूमि की वादी प्रतिवादी का हिस्सा 1/2–1/2 अनुसार निम्न प्रकार रहेगा।

01. गोरधन पुत्र रामप्रताप कोम गुसाई सा0 देह रहन एस0बी0आई0 शाखा मांगरोल खातेदार को खसरा नं0 837 रकबा 0.07 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 838 रकबा 0.01 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 839 रकबा 3.50 है0 दक्षिणी कुल किता 3 रकबा 3.58 है0।
02. शांतिबाई पत्नी स्व0 रामकुवांर, शोभागपुरी, रविन्द्रपुरी, महेन्द्रपुरी पुत्र रामकुंवार जाति गुसाई सा0 देह खातेदार को खसरा नं0 839 रकबा 3.59 है0 उत्तरी।

उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन किया जाता है तदनुसार दोनो पक्षकार वादी–प्रतिवादी के नाम पृथक–पृथक खातेदारी अंकित की जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।